# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/271

तारीख दायर :– 26/12/2017

उनवान

1. गोपाल पुत्र बल्लाराम जाति खटीक
2. छाजूराम पुत्र बल्लाराम जाति खटीक
3. मु0 जडावदेवी पत्नि मांगीलाल जाति खटीक
4. विनोद पुत्र मांगीलाल जाति खटीक
5. मक्खन पुत्र मांगीलाल जाति खटीक
6. राजेश पुत्र मांगीलाल जाति खटीक
7. अनिता पुत्री मांगीलाल जाति खटीक
8. सुनिता पुत्री मांगीलाल जाति खटीक
9. ममता पुत्री मांगीलाल जाति खटीक
10. रेणू पुत्री मांगीलाल जाति खटीक सभी निवासी कालेड तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदय अलवर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– प्रतिवादीगण।

‖ राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ‖

उपस्थिति :–

उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)

श्री गोपीराम शर्मा एडवोकेट वादीगण।

कोई उपस्थित नही एडवोकेट प्रतिवादीगण।

न्यायालय द्वारा :–

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांकः— 31/01/2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम कालैड तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में हाल आराजी खसरा नम्बर 1128/876 रकबा 28.44 हैक्टर गै0मु0 राडा स्थित चली आती है। जिस आराजी में से 1.26 हैक्टर यानि पांच बीघा आराजी को दावा हाजा में विवादित बयान की गयी है।

उपरोक्त विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1128/879 रकबा 28.44 हैक्टर का साबिक खसरा नम्बर 749 मि. रकबा 117 बीघा 09 बिस्वा से बना है। जैसाकि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 व 2028 से प्रमाणित है।

उपरोक्त विवादित आराजी 1.26 हैक्टर यानि पांच बीघा आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जो विवादित आराजी वादीगण के पिता दादा ससुर बल्या पुत्र महोरा खटीक निवासी कालैड को दिनांक 19.05.1966 को सरकार द्वारा आवंटन की गयी थी। तथा दिनांक 03.06.1966 को वादीगण के पिता दादा को दखल मौके पर दिया गया। उपरोक्त साबिक आराजी खसरा नम्बर 749 मि. रकबा 05 बीघा आराजी वादीगण के पिता दादा के कदीमी कब्जा के आधार पर आवंटन हुई थी। वादीगण के पिता दादा बल्या की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण सन 1966 से पहले से यानि अपने पिता दादा के जीवनकाल से विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। और उक्तानुसार ही वादीगण का कब्जे काश्त खातेदारी का चला आता है। जिस विवादित आराजी पर वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से यानि 50 साल से लगातार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं वादीगण के पिता दादा की मृत्यु हो चुकी हैं उनकी मृत्यु के पश्चात भी वादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1128/876 रकबा 28.44 हैक्टर में से 1.26 हैक्टर रकबा पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं आज भी मौके पर वादीगण का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद वादीगण की विवादित आराजी से अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। सजरा वादीगण निम्न प्रकार से है।

उप खण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

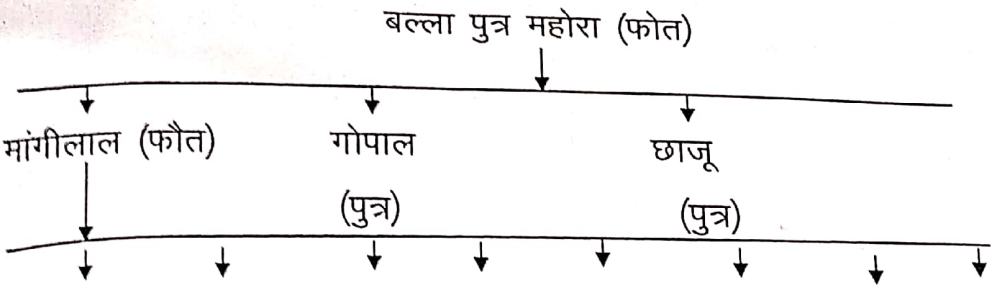


वादीगण अपने पिता दादा के जीवनकाल से ही लगातार विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। विवादित आराजी की बाबत वादीगण को दिनांक 19.05.66 के आवंटन के आधार पर खातदेारी अधिकार प्राप्त हो चुके है लेकिन वादीगण विवादित आराजी पर 50–52 साल से लगातार काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं इसलिये वादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1128/876 रकबा 28.44 हैक्टर में से 1.26 हैक्टर को अपने नाम जरिये अदालत आवंटन के आधार पर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

विवादित आराजी पर वादीगण अपने पिता दाद के जीवनकाल से वक्त आवंटन से लगातार शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त कर अपना वो परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है। आज भी मौके पर वादीगण का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। वादीगण की विवादित आराजी से अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। इसलिये अब वादीगण के नाम उपरोक्त विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1128/876 रकबा 28.44 हैक्टर में से 1.26 हैक्टर रकबा को आवंटन के आधार पर जरिये अदालत खातेदारी घोषणा किये जाने योग्य है। एवं वादीगण अपने नाम खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। एवं राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद पत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

विवादित आराजी का वादीगण काबिज काश्तकार खातेदार चले आते हैं वादीगण विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का या अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही हैं वादीगण अपनी विवादित आराजी पर अपने पिता दादा के जीवनकाल से बिना किसी बाधा वो रूकावट के काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। आज भी मौके पर वादीगण का उक्तानुसर कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। विवादित

Scanned by CamScanner

आराजी के साबिक राजस्व रिकार्ड सम्वत 2028–2031 के खसरा गिरदावरी में दर्ज अंकन चला आता है। विवादित आराजी रकबा को वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने योग्य हैं इसलिये जरिये अदालत वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराकर अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। जिस हेतु भी यह वाद पत्र पेश हैं -5

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। उनके विरूद्ध इक्तर्फा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि विवादित आराजी वादी को दिनांक 19.05.1966 को आवॅटन से वादीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त आराजी विवादित वो वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज नही किया गया तथा आवॅटन के बाद आज तक करीब 50 साल का समय गूजर जाने के बावजूद आज दिनांक तक उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण को खातेदार दर्ज कर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये। जिससे आज भी ऑवटित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में बैखाने काश्तकार सिवायचक लगानी दर्ज चली आती है। अतः वादी को ऑवटन आदेश 15.05.1966 के आधार पर खातेदार घोषित करने एवं दावा डिक्री करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एव पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 वाकै ग्राम कालेड के खाता संख्या एक के अुनसार विवादित आराजी सिवायचक लगानी गै0मु0 राडा दर्ज रिकार्ड है परन्तु आवॅटन आदेश दिनांक 19.05.1966 के अनुसार विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 749 मिन रकबा 117 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम कालेड वादीगण को आवॅटन कमेठी द्वारा आवॅटन किया गया है। उक्त आवॅटन आदेश की पालना में वादीगण को गैर खातेदार दर्ज नही किया गया। विवादित आराजी आज दिनांक तक गै0मु0 राडा सिवायचक के खाते में दर्ज चली आती हैं उक्त विवादित आराजी पर आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं अत आवॅटन आदेश 19.05.1966 के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किये जाने का प्रावधान है। अतः

खण्ड अधिकारी
नागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

आवॅटन आदेश के अनुसार वादी को गैर खातेदार घोषित किया जाना उचित है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य के दावा वादी डिक्री योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादी को आवॅटन आदेश दिनांक 19.05.1966 के आधार पर साबिक आ.ख.नं. 749 मिन रकबा 117 बीघा 09 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1128/876 रकबा 28.44 है0 वाकै ग्राम कालैड में से 1.26 है0 का गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार थानागाजी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्त रकबा से हाल इन्द्राज कमलजन किया जाता हें पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .31.01.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–5

# मूल वाद में डिक्री
## (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
## न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर थानागाजी
## (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत)

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/271

तारीख दायर :– 26/12/2017

उनवान

1. गोपाल पुत्र बल्लाराम जाति खटीक
2. छाजूराम पुत्र बल्लाराम जाति खटीक
3. मु0 जडावदेवी पत्नि मांगीलाल जाति खटीक
4. विनोद पुत्र मांगीलाल जाति खटीक
5. मक्खन पुत्र मांगीलाल जाति खटीक
6. राजेश पुत्र मांगीलाल जाति खटीक
7. अनिता पुत्री मांगीलाल जाति खटीक
8. सुनिता पुत्री मांगीलाल जाति खटीक
9. ममता पुत्री मांगीलाल जाति खटीक
10. रेणू पुत्री मांगीलाल जाति खटीक सभी निवासी कालेड तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदय अलवर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

| राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम बाबत |

उपस्थिति :–

1. श्री गोपीराम शर्मा एडवोकेट वादीगण।
2. कोई उपस्थित नही एडवोकेट प्रतिवादीगण।

न्यायालय द्वारा :–

अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादी को आवॅटन आदेश दिनांक 19.05.1966 के आधार पर साबिक आ.ख.नं. 749 मिन रकबा 117 बीघा 09 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1128/876 रकबा 28.44 है0 वाकै ग्राम कालैड में से 1.26 है0 का गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार थानागाजी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्त रकबा से हाल इन्द्राज कमलजन किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .31.01.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द्र शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner